

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 23.05.2025

01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 नितिन मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त नितेश कुमार को 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2025 को उ0नि0 नितिन मिश्रा मय पुलिस द्वारा रात्रिगस्त के दौरान अभियुक्त नितेश कुमार को 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितेश कुमार पुत्र अनिल निवासी महुआपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 299/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 नितिन मिश्रा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 श्रीनिवास सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. का0 अशोक कुमार गौड़ थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 सुरेन्द्र कुमार यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर